

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 85/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

मनीराम पुत्र श्री जीतूराम जाति जाट निवासी बन्नासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार(राजस्व) पल्लू, तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
 2. मनीराम पुत्र श्री जीतराम जाति जाट निवासी बन्नासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
- प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील-वादी
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 29.08.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा बन्नासर के खाता संख्या 214/216 के खसरा नम्बर 537 की 1.6820 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 879/538 की 1.8570 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 880/526 की 3.1400 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 6.6790 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी का नाम मनीराम पुत्र जीतराम के स्थान पर मनीराम पुत्र जीतूराम दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.08.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

